ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा(गोड्डा)

पी0ए0 केश नं0– 39/16–17

मरांगमय मरंडी बनाम् रैयान, मौजा–विशनपुर

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक मरांगमय मरंडी, पति–स्व0 सोनेलाल हाँसदा, सा0–विशनपुर के आवेदन के आधार पर मौजा–विशनपुर नं0–22 में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु वाद प्रारंभ किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–286/रा0, दिनांक–18.08.2015 से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें संलग्न राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदिका मरांगमय मरंडी स्व0 सोनेलाल हाँसदा की पत्नी है। पूर्व प्रधान सोनेलाल हांसदा की मृत्यू हो गई है। दूसरे आवेदक मार्शल हांसदा, पे0–सोनेलाल हांसदा पूर्व प्रधान के पुत्र हैं, के द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। मार्शल हांसदा के द्वारा अपने व्यस्क होने का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया जा सका। इनके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी गई है। उभय आवेदक पूर्व प्रधान के वंशज हैं तथापि मरांगमय मरंडी के संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–286/रा0, दिनांक–18.08.2015 के द्वारा अनुशंसा किया गया है। इस न्यायालय के डी0बी0 नं0–411, दिनांक–23.12.2017 द्वारा 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत किया गया तथा तामिला करायी गई।

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की अनुसूची–V के उपधारा–3 के अनुसार The Office Of Headman being hereditary the next heir who is fitted should be headman के आलोक में आवेदिका मरांगमय मरंडी पूर्व प्रधान की पत्नी है तथा सर्वाधिक निकट संबंधी है। किसी भी प्राधिकार एवं विपक्षी द्वारा उक्त नियम के अनुसूची–V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के आलोक में मरांगमय मरंडी को अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया गया है या प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–286/रा0, दिनांक–18.08.2015 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मरांगमय मरंडी, पति–स्व0 सोनेलाल हाँसदा, सा0–विशनपुर, अंचल–बोआरीजोर को मौजा–विशनपुर नं0–22 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Scanned with CamScanner